Journal of Science and Research Innovations

Volume - 4, Issue - 1, June 2026, ISSN: 2583-9004 (ONLINE)

Received: 29-01-2026 **Revised**: 02-02-2026 **Accepted**: 04-02-2026

बौद्धिक सम्पदा के विधि आयामों का विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. आनन्द कुमार द्विवेदी

[प्रभारी प्राचार्य]

संस्कार विधि महाविद्यालय, अनूपपुर

Email: ananadkumardwivedi1984@gmail.com

सार

साम्पत्तिक श्रृंखला में बौद्धिक सम्पदा एक नवीनतम अवधारणा है। यह मानव मस्तिष्क और बुद्धि का उत्पाद है। यद्यपि बौद्धिक सम्पदा की अवधारणा नई है, किंतु इसकी संकल्पना पुरानी है। 19वीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध औद्योगिक क्रांति हुई, अपितु साहित्यिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में भी आशातीत प्रगति हुई। औद्योगिक क्रांति एवं प्रक्रिया के फलस्वरूप जहॉ नवीन आविष्कारों से वस्तुओं के उत्पादन एवं उनकी गुणवत्ता में अभिवृद्धि हुई और बाजार विकसित हुआ,वहीं दूसरी और साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के आदान–प्रदान का पूरा–पूरा अवसर प्राप्त हुआ जिससे स्वाभाविक तौर पर बौद्धिक सम्पदा की संकल्पना,विस्तार एवं संरक्षण के क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। कालान्तर में परिवहन, डिजिटल तकनीकी और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए व्यापक विकास के क्रम में व्यापार और वाणिज्य में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की अवधारणा ने विश्व व्यापार को एक नया स्वरूप् प्रदान किया है। बौद्धिक सम्पदा का अस्तित्व मनुष्य के अस्तित्व के साथ ही प्रारम्भ हुआ था। जैसे जैसे मानव ने अपनी बुद्धि, क्षमता, कार्यकुशलता को परिमार्जित किया वैसे वैसे बौद्धिक सम्पदा का भी नये रूप में विकास होता गया।

शाब्द कुंजी : बौद्धिक सम्पदा, प्रतिलिप्याधिकार, पेटेंट

भूमिका :

आज बौद्धिक सम्पदा का व्यापारिक जगत में महत्वपूर्ण स्थान है। बौद्धिक सम्पदा का अस्तित्व मनुष्य के अस्तित्व के साथ ही प्रारम्भ हुआ था। जैसे जैसे मानव ने अपनी बुद्धि, क्षमता, कार्यकुशलता को परिमार्जित किया वैसे वैसे बौद्धिक सम्पदा का भी नये रूप में विकास होता गया। मानव का जंगली जानवर से वर्तमान स्वरूप में आने की प्रक्रिया जैसे कपड़े का प्रयोग, सुरक्षा के साधन, निवास हेतु घर की व्यवस्था, मनोरंजन हेतु विभिन्न क्रियाकलापों का संचालन तथा कला का प्रदर्शन इस बात का द्योतक है कि मनुष्य प्रारम्भ से अपनी बुद्धि, कार्यकुशलता, क्षमता एवं विवेक का प्रयोग समय समय पर विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु करता रहा है। प्रारंभ में अपने इन बौद्धिक क्षमताओं को उसने अधिकार व सम्पत्ति के रूप में दर्शाने का कभी प्रयास नहीं किया। वह यह मानकर चलता था कि उसे ऐसी क्षमता ईश्वर प्रदत्त उपहार है तथा समाज के लाभ व कल्याण के लिए है। इसमें उसका कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है। उसके द्वारा सृजित उत्पाद पर सभी व्यक्तियों का अधिकार है तथा वह उन्हे निःशुल्क प्राप्त होना चाहिए।

शोध कार्य का महत्व एवं उद्देष्य :

इस शोध के अध्ययन के निम्नलिखित महत्वपूर्ण उद्देश्य है–

1. राष्ट्र तथा राज्य स्तर पर बौद्धिक सम्पदा अधिकार संबंधित विधियों के क्रियान्वयन की वास्तविक जानकारी प्राप्त करना।
2. इन विधियों के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों की जानकारी प्राप्त करना।
3. इन विधियों के क्रियान्वयन का राष्ट्र पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना।
4. इन विधियों की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन करना।
5. इन विधियों के विशेष संदर्भ में बढ़ते हुए बौद्धिक सम्पदा अधिकार के प्रति व्यक्ति के जागारुकता की वास्तविक स्थिति को ज्ञात करना।
6. सूचना प्रौद्योगिकी के कारण बौद्धिक सम्पदा अधिकार संबंधी कानून ग्रंथ आदि के स्वरूप में आने वाले परिवर्तनों एवं इससे संबंधित विधियों में सुधारात्मक सुझावों का अध्ययन करना।

शोध कार्य इन सभी से सम्बंधित अधिकार का पुनर्निर्माण हो सकता है। शोध से प्राप्त निष्कर्षों से बौद्धिक सम्पदा अधिकार के प्रति व्यक्ति जागरूक होंगे तथा बौद्धिक सम्पदा अधिकार सम्बंधी विधि के नये आयामों से अवगत होंगे, जिससे वे अपनी सम्पदा को बेहतर ढंग से संरक्षित कर सकेगें।

शोध परिकल्पना :

प्रस्तावित शोध अध्ययन में निम्नलिखित परिकल्पनाओं को परखने का प्रयास किया गया है–

1. बौद्धिक सम्पदा अधिकार आर्थिक विकास हेतु आवश्यक है?
2. बौद्धिक सम्पदा अधिकार की सुरक्षा संवैधानिक अधिकार द्वारा संभव है?
3. प्रतिलिप्याधिकार से पुर्नप्रचलन नियंत्रित होता है।
4. बौद्धिक सम्पदा अधिकार से सृजनशीलता में अभिवृद्धि होती है, जिससे मानवीय कल्याण के विकल्प उद्भावित होते है।

षोध कार्य का विधि तंत्र :

शोध कार्य का अध्ययन क्षेत्र राष्ट्र के महत्वपूर्ण वर्ग के हितों के संरक्षण हेतु न्यायपालिका के कर्तव्यों एवं प्रयास से सम्बंधित है। अतः अध्ययन का रूपांकन विभिन्न स्तरों पर आंकड़ों के संचयन उनके विश्लेषण द्वारा प्राप्त निष्कर्षों पर आधारित है। साहित्य के संकलन एवं द्वितीयक आंकड़ों के एकत्रीकरण न्यायालय, सरकारी व प्राइवेट संस्थाओं , पुस्तकालय , विभिन्न आयोगों की रिपोर्ट एवं सिफारिश तथा इन्टरनेट से प्राप्त की जायेगी।

शोधकार्य की प्रकृति एवं दूरदृष्टि के आधार पर गुणात्मक एवं परिणात्मक दोनो ही पद्धतियों का प्रयोग आवश्यकतानुसार करके अध्ययन में

मौलिकता एवं विश्वसनीयता लाने का प्रयास किया गया।

समाज में बहुत से लोग आज भी अपने अधिकरों के प्रति सजग नही है। तथ्यों को एकत्रित किया जायेगा तथा उसका विश्लेषण किया जायेगा।

बौद्धिक सम्पदा अधिकार का ऐतिहासिक विकास:

बौद्धिक सम्पदा का अस्तित्व तब से है जब से मानव ने विकास की ओर कदम बढ़ाये। अपने मस्तिष्क, कौशल तथा अनुभव का प्रयोग करते हुए व अन्य जंगली जीवों से अपना अलग अस्तित्व बनाये रखने में सफल हुआ। कालान्तर में मानव अपने विवेक, ज्ञान, बुद्धि से अनेक वस्तुओं को सृजित व उत्पादित करने में सफल रहा तथा उनके प्रयोग मानव कल्याण के लिए करता रहा। प्रारम्भ में किसी भी वस्तु के निर्माण पर समाज के सभी व्यक्तिओं का उपयोग करने का अधिकार था परन्तु सम्पत्ति की अवधारणा के विकास के साथ साथ ही बौद्धिक सम्पदा की संकल्पना भी अस्तित्व में आ गई तथा अन्य सम्पत्तियों की तरह बौद्धिक सम्पदा के संरक्षण के लिए भी अनेक कानून अस्तित्व में आये। अतीत में मनुष्य का जीवन भ्रमणशील और यायावर था, मनुष्य का जीवन पूरी तरह प्रकृति–आधारित था। वह प्रकृति से ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता था। जीवन में भोजन जुटाने का एकमात्र रास्ता था–शिकार करना। किसी कारण उसमें सफलता न मिले तो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध भोजन जैसे कंदमूल व फल आदि पर निर्भर रहना। प्राकृतिक आपदाओं, वन्य जीवों से भरपूर घने जंगलों में जैसे भी संभव हो, अपनी ताकत एवं संघर्ष के बल पर खुद की रक्षा करता था। उस समय तक मनुष्य का जीवन स्वेच्छाचारी था। अपने सामर्थ्य एवं परिस्थितिकीय सामंजस्य के हुनर के दम पर प्राचीन मनुष्य उन चुनौतियों से जूझता था, कभी सफल होता था तो कभी असफल। प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं पर सभी का समान अधिकार था और ये सभी मिलजुल कर उनका उपयोग–उपभोग करते थे। आत्मरक्षा और अर्जनशीलता मूल प्रवृत्तियाँ थी लेकिन संग्रह और स्वार्थ की प्रवृतति का अभाव था।

धीरे–धीरे सभ्यता का विकास हुआ। मनुष्य को संगठनात्मक एकता एवं संगठन–सामर्थ्य की महत्ता का एहसास हुआ। अपनी आवश्यकताओं तथा दूसरी विकासमान कलाओं के प्रभाव में रागात्मक संबंध स्थायी रूप लेने लगे थे । इससे समूह की, बाद में जब समूह के सदस्यों की संख्या बढ़ने लगी तो कुटुंब व परिवार जैसी संकल्पनाओं का जन्म हुआ। एकाकी मनुष्य जैसे जैसे परिवार एवं कुटुंब जैसी संस्था को बनाता गया ,उसने अपने एवं कुटुंब व परिवार की आवश्यक्ताओं की पूर्ति हेतु वस्तुओं के अर्जन, ग्रहण, और व्ययन और धारण करने की शुरुआत कर दी। मनुष्य का वस्तुओ के प्रति लगाव बढ़ने लगा। वह समाज पर अधिक आश्रित होता चला गया। वह एक सामाजिक प्राणी हो गया। सभ्यता के विकास की इस प्रक्रिया में संस्थाओं के तहत मानवीय संबंधों को विनियमित करने के लिए विधि की आवश्यकता महसूस हुई। विधि के मुख्य विषय थे – शांति, सुरक्षा, सुविधा एवं संपत्ति का संरक्षण जिससे की समाज में स्थायित्व प्रदान करने में अहम थे । विधि के अस्तित्व में आने के साथ ही सम्पत्ति की संकल्पना का प्रादुर्भाव हुआ और सम्पत्ति ने मानवीय विधि की संस्था का स्वरूप ग्रहण कर लिया। इस प्रकार समय के साथ–साथ बौद्धिक सम्पदा की अवधारणा विकसित होती चली गई। बौद्धिक सम्पदा अधिकार को विनियमित करने एवं उससे उत्पन्न प्रलाभों को सुरक्षित रखने एवं इसको दुरुपयोग एवं दुर्विनियोग से बचाने हेतु प्रयास एक लम्बे समय से चल रहा था जिसे आधुनिक विधिक स्वरूप स्टैट्यूट आफ एनी, 1710 के द्वारा दिया गया। इसके पश्चात शनैः शनैः विकसित होता हुआ 1967 विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन तक पहुँचा, जिसका उद्देष्य

1. सम्पूर्ण विश्व में बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के संरक्षण को बढ़ावा देना; और
2. उपरोक्त उद्देश्य की प्राप्ति हेतु राष्ट्रों का सहयोग प्राप्त करना।

बौद्धिक सम्पदा का अधिकार अन्वेषक या सृजक को विशिष्ट अधिकार प्रदान करने के लिए अधिकाधिक लोगों को ऐसे पुनरूद्धार और सृजन में समय प्रयास और धन का निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

भारत में बौद्धिक सम्पदा के सम्बन्ध में जो विधान बनाये गये हैं, वे इस प्रकार है–

1. प्रतिलिप्याधिकार एक्ट, 1970

2. कापीराइट एक्ट, 1957
3. ट्रेडमार्क एक्ट, 1999
4. ज्योग्राफिकल इण्डिकेशन आफ गुड्स (रजिस्ट्रेशन एण्ड प्रोटेक्शन) एक्ट, 1999
5. सेमीकण्डक्टर्स इन्टीग्रेटेड सर्किट (ले–आउट एण्ड डिजाइन)एक्ट, 2000
6. इन्फारमेंशन टेक्नालाजी एक्ट, 2000
7. प्रोटेक्शन ऑफ प्लाण्ट बैराइटी एण्ड फार्मर्स राइट्स एक्ट, 2001

बौद्धिक सम्पदा अधिकार विधियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रतिलिप्यधिकार सम्बंधी विधि है। यह भारत में ब्रिटिश काल में 1911 से लागू किया गया प्रतिलिप्यधिकार स्वतंत्रता के बाद भी लागू रहा। इसमें ब्रिटिश काल में ही 1914 में सुधार किया गया था । स्वतंत्रता के बाद भारत 1948 में बर्न सम्मेलन का सदस्य रहा और यूनिवर्सल कॉपीराईट समझौता (1952) का सदस्य रहा । इस तरह से भारत ने प्रतिलिप्याधिकार स्वीकृत किया । यह लिखित तथा विद्युत्यिकी प्रकाशन सामग्री से जुडा मुद्दा रहा है । इसी के साथ 1957 में प्रथम भारतीय प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम बनाया गया और 1958 से लागू किया गया।[1] जैसे–जैसे तकनीकी विकास और सूचना प्रोद्योगिकी का विकास हुआ उस तरह से प्रतिलिप्याधिकार में सुधार किया गया दिखाई देता है । जैसे कि टेलिविजन प्रसार माध्यमों मे वृद्धि हुई तो प्रसार माध्यमों के पुनर्प्रसारण के लिए 2001 में सुधार किया गया । फिल्मों के प्रतिलिप्याधिकार व पुनर्प्रसारण के विधिवत प्रावधान दिये गये हैं। कलाकार को रॉयल्टी मिलने का हकदार बताया है। 2012 के कॉपीराइट सुधार में बडी मात्रा में फिल्में और कलाकारों के हक का संरक्षण किया है। कलाकारों को पुनरूप्रसारण पर रॉयल्टी मिलना। डिजीटल साहित्य को सम्मिलित किया है ।

भारत में बौद्धिक सम्पदा :

भारत में ट्रिप्स के अनुरूप मजबूत, न्यायसंगत और गतिशील आईपीआर व्यवस्था है। भारतीय आईपीआर नीति, देश के आर्थिक विकास और सामाजिक–सांस्कृतिक विकास के लिए बौद्धिक संपदा की पूरी क्षमता को उत्प्रेरित करने के लिए एक समग्र और अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा तथा सार्वजनिक हित की रक्षा करने वाली नीति है ।

रचनात्मकता और नवाचार किसी भी ज्ञानवादी अर्थव्यवस्था की वृद्धि और विकास का निरंतर आधार होते हैं। भारत में भी रचनात्मक और नवीन ऊर्जा बहुतायत में पायी जाती है। फिल्म और संगीत उद्योग के विकास; विश्व स्तर पर सस्ती दवाओं तक पहुँच में भारतीय दवा क्षेत्र का योगदान और दुनिया की फार्मेसी बनने में इसका कार्यांतरण; एक मजबूत और गतिशील सॉफ्टवेयर उद्योग एक विविध हस्तशिल्प और वस्त्र उद्योग; आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और योग जैसी समृद्ध और बहुरूप भारतीय चिकित्सा प्रणालीय भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम और प्रभावी लागत के संदर्भ में हमारे वैज्ञानिकों की अग्रणी भूमिका में की गई प्रगति इन ऊर्जा के कुछ उदाहरण हैं।

राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं के अनुरूप और अंतरराष्ट्रीय संधियों, सम्मेलनों और समझौतों के अनुरूप जिसमें भारत एक पक्षकार है, पिछले दो दशकों में सरकार द्वारा किए गए ठोस उपायों से और टिप्स के अनुरूप मजबूत, न्यायसंगत और गतिशील आईपीआर व्यवस्था की भारत में स्थापना की है। भारत में विभिन्न प्रकार के आईपीआर से संबन्धित विधान हैं जैसे पेटेंट अधिनियम, 1970 व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999, डिजाइन अधिनियम 2000 वस्तुओं के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 कॉपीराइट अधिनियम, 1957 पौधा किस्मों और किसान अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, 2001 सेमीकंडक्टर एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम, 2000 और जैव विविधता अधिनियम, 2002 ।

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) को अन्य संबंधित मंत्रालयों या विभागों के साथ समन्वय सहित ,आईपीआर से संबंधित

---

[1] प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 का अधिनियम संख्यांक 14

विशेष संयुक्त राष्ट्र एजेंसी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) मामलों का कार्य सौंपा गया है।[2]

बौद्धिक सम्पदा :

शब्द "सम्पदा" का सामान्य अर्थ "सम्पत्ति" से लिया जाता है। यह दोनों शब्द एक जैसे है। अभौतिक या अमूर्त वस्तुओं में साम्पतिक अधिकार एक विशिष्ट स्थान रखता है। यही कारण है कि इनके संदर्भ में शब्द "सम्पत्ति" के स्थन पर "सम्पदा" शब्द का प्रयोग किया जाता है।

जेरेमी फिलिप्स के अनुसार – "बौद्धिक सम्पदा से अभिप्राय ऐसी वस्तुओं से है जो व्यक्ति द्वारा बुद्धि के प्रयोग से उत्पन्न होती है।[3] बौद्धिक सम्पदा बौद्धिक श्रम से उत्पन्न होने वाला उत्पाद है। यह ज्ञान, विचार और प्रतिभा की एक मिली जुली बाह्य अभिव्यक्ति है। बौद्धिक सम्पदा के मुख्य विषय सामान्यतः लेखकों की रचनायें एवं आविष्कारकर्ताओ के आविष्कार माने जाते हैं

सॉमण्ड के अनुसार – "भौतिक सम्पदा वे अभौतिक वस्तुएं हैं जो विधि द्वारा मानव–कौशल और श्रम के अभौतिक उत्पाद के रूप में मान्यता प्राप्त करती है।[4]"

ब्लेकस्टोन के अनुसार – "अन्य मूर्त सम्पत्तियों की भांति बौद्धिक सम्पदा जिसका स्वरूप अमूर्त होता है, को राज्य ने विधि के माध्यम से सम्पतति की सामान्य व्याख्या के अंतर्गत मान्यता प्रदान की है। जब कोई व्यक्ति अपनी विवेकपूर्ण क्षमता के प्रयोग से किसी मौलिक कृति का उत्पादन करता है तो वह अपनी इच्छानुसार उस मौलिक कृति के व्ययन का अधिकार रखना चाहता है और उसके द्वारा की गई व्यवस्था से भिन्न कोई प्रयत्न उसके अधिकारों पर अतिक्रमण माना जाता है।"[5]

बौद्धिक सम्पदा में मुख्यतया निम्नांकित विषयों को सम्मलित किया गया है –

(क) प्रतिलिप्याधिकार,
(ख) एकस्व,
(ग) व्यापार–चिन्ह तथा
(घ) डिजाइन

बौद्धिक सम्पदा की प्रकृति :

बौद्धिक सम्पदा मुख्यतया अभौतिक अमूर्त निगमित प्रकृति की होती है। बौद्धिक सम्पदा प्रत्येक दशा में स्वामी द्वारा रचित अथवा उत्पादित कुछ निश्चित अभौतिक वस्तु के बारे में अधिकारों के एक समूह द्वारा अस्तित्व में आती है।

अभौतिक वस्तुओं को बौद्धिक सम्पदा के रूप में मान्यता इस आधार पर प्रदान की गई है कि जो कुछ कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि, श्रम, पूंजी एवं कौशल के प्रयोग से उत्पन्न् करता है, वह उसकी सम्पदा होती है। व्यक्ति का बौद्धिक अभौतिक उत्पाद उतना ही मूल्यवान होता है जितनी की भौतिक सम्पत्ति। यही कारण है कि बौद्धिक सम्पदा में साम्पत्तिक अधिकार प्रदान किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति इन अधिकारों का अतिक्रमण करता है तो विधि में उसके लिए उपचारों का प्रावधान है।

बौद्धिक सम्पदा के अंतर्गत भौतिक या मूर्त सम्पत्तियों से पृथक अभौतिक या अमूर्त वस्तुओं से संबंधित ऐसे हित एवं अधिकार आते हैं,जिन्हें विधि द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है और उन्हें संरक्षण दिया जाता है।

परम्परागत तौर पर बौद्धिक सम्पदा के अंतर्गत मुख्यतया औद्योगिक सम्पदा और कॉपी राइट को सम्मिलित किया जाता है। औद्योगिक सम्पदा में सामान्यतया निम्नांकित विषयों को सममिलित किया गया है –

(क) एकस्व,
(ख) व्यापार–चिन्ह
(ग) औद्योगिक डिजाइन

---

[2]http://amarboudhiksampada.blogspot.com/2016/10/blog-post.html

[3] इन्ट्रोडक्शन टू इन्टेलेक्चुअल प्रापर्टी लॉ संस्करण 1986

[4] सामण्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस पेज नं. 422

[5] रुस्तम आर. दादाचानजी : लॉ ऑफ लिटरेरी एण्ड ड्रामैटिक कॉपीराइट इन अ नटशेल (प्रथम संस्करण, 1960 मुम्बई) पेज नं.01

कॉपीराइट के अंतर्गत मुख्यतया निम्नांकित विषय आते है –

(i) मौलिक कृति,
(ii) साहित्यिक कृति,
(iii) संगीतात्मक कृति,
(iv) नाट्य कृति,
(v) सिनेमेटोग्राफ फिल्म,
(vi) कलात्मक कृति,
(vii) ध्वनि रिकॉर्डिंग,
(viii) कम्प्यूटर कार्यक्रम आदि।

कॉपीराइट तथा गोपनीय जानकारी बौद्धिक सम्पदा की विशिष्ट प्रकृति को अधिक स्पष्ट करते हैं। यद्यपि व्यापार चिन्ह का बौद्धिक सृजन के निकट का संबंध नहीं है, तथापि इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि एकस्व, डिजाइन, कॉपीराइट आदि कला,ललित कला एवं तकनीकी क्षेत्र में बौद्धिक प्रयास एवं रचनात्मक क्रियाशीलता के परिणाम है। आज बौद्धिक सम्पदा के क्षेत्र में निरंतर वृद्धि होती जा रही है।

बौद्धिक सम्पदा एवं भू–सम्पदा में अंतर :

बौद्धिक सम्पदा एवं भू–सम्पदा में कुछ मौलिक अंतर है। बौद्धिक सम्पदा का केंद्र बिंदु मस्तिष्क का उत्पाद होता है, न कि स्वयं उत्पादन। बौद्धिक सम्पदा ज्ञान, विचार और प्रतिभा की बाह्य अभिव्यक्ति है। लेखकों की रचनाएं और आविष्कारकों के आविष्कार बौद्धिक सम्पदा के मुख्य विषय है। जबकि भू–सम्पदा न तो मस्तिष्क का उत्पाद होती है और न ही ज्ञान, विचार और प्रतिभा की अभिव्यक्ति।

समय के साथ–साथ बौद्धिक सम्पदा की अवधारणा विकसित होती चली गई। आज बौद्धिक सम्पदा का व्यापारिक जगत में महत्वपूर्ण स्थान है। साम्पत्तिक श्रृंखला में बौद्धिक सम्पदा एक नवीनतम अवधारणा है। यह मानव मस्तिष्क और बुद्धि का उत्पाद है। यद्यपि बौद्धिक सम्पदा की अवधारणा नई है, किंतु इसकी संकल्पना पुरानी है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में औद्योगिक क्रांति हुई, अपितु साहित्यिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में भी आशातीत प्रगति हुई। औद्योगिक क्रांति एवं प्रक्रिया के फलस्वरूप जहाँ नवीन आविष्कारों से वस्तुओं के उत्पादन एवं उनकी गुणवत्ता में अभिवृद्धि हुई और बाजार विकसित हुआ,वहीं दूसरी और साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के आदान–प्रदान का पूरा–पूरा अवसर प्राप्त हुआ जिससे स्वाभाविक तौर पर बौद्धिक सम्पदा की संकल्पना,विस्तार एवं संरक्षण के क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। कालान्तर में परिवहन, डिजिटल तकनीकी और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए व्यापक विकास के क्रम में व्यापार और वाणिज्य में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीरकण की अवधारणा ने विश्व व्यापार को एक नया स्वरूप प्रदान किया है।

प्रतिलिप्याधिकार , पेटेंट व ट्रेडमार्क के बारे में अक्सर सुनते आ रहे है ये तीनों बौद्धिक सम्पदा के अन्तर्गत आते हैं तथा इनके संरक्षण हेतु राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कई विधियाँ प्रवर्तन में हैं। प्रतिलिप्यधिकार, पेटेंट व ट्रेडमार्क का संक्षेप में वर्णन निम्नानुसार है–

1. **प्रतिलिप्याधिकार** – किसी कृति को एकमात्र एवं अनन्य रूप से प्रकाशित एवं उसकी प्रतिलिपियां कराने का अधिकार कॉपीराइट कहलाता है। प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 इस प्रकार की कृतियों को प्रतिवादी द्वारा प्रकाशित कराने से रोकने के लिए इन कृतियों को स्वामी को अधिकार प्रदान करता है।इस अधिनियम के विषय क्षेत्र के अंतर्गत भौतिक, साहित्यिक, कलात्मक एवं संगीतात्मक रचनाएं शामिल है तथा रचनाओं के स्वामी को कॉपीराइट का एकाधिकार प्राप्त है। यह अधिकार लेखक के जीवन द्वारा तथा उसकी मृत्यु के पश्चात 50 वर्ष की अवधि तक अस्तित्व में रहता है और तत्पश्चात यह समाप्त हो जाता है। 1991 के संशोधन के द्वारा अब इस अवधि को 10 वर्ष और बढ़ा दिया गया है।

प्रतिलिप्याधिकार का संरक्षण प्राप्त करने के लिए किसी भी कृति में निम्नलिखित बातों का होना आवश्यक है [6]–

[6] मैकमिलन एण्ड कं. लि. बनाम के. एण्ड के. कूपर 1923) 93 L.J.P.C. 113

(i) रचना निर्दोष होना चाहिए – किसी अधार्मिक, अनैतिक अथवा अशोभनीय प्रकाशन पर प्रतिलिप्यिाधिकार का दावा नहीं किया जा सकता।

(ii) रचना मौलिक होना चाहिए – किसी पुस्तक में मौलिकता की थोड़ी सी भी मात्रा होने पर उसके लेखक को लेखक मान लिया जाता है तथा उसे प्रतिलिप्यिाधिकार प्राप्त हो जाता है।

(iii) रचना का शारीरिक महत्व होना चाहिए – यदि रचना निरर्थक है अथवा उसमें ऐसी बात है जिनसे समाज का अहित होता है तो ऐसी रचना पर प्रतिलिप्यिाधिकार नहीं प्राप्त होता है।

कोई भी रचना उपरोक्त कसौटी पर खरी उतरती है या नहीं यह तथ्यों पर निर्भर करता है।

प्रतिलिप्यिाधिकार का अतिक्रमण तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी कृति के स्वामी की अनुमति के बगैर कोई ऐसा कार्य करता है जिसे करने से, अधिकार अधिनियम के अनुसार एकमात्र रूप से स्वामी को है।

लेखक को प्राप्त उपचार – किसी लेखक को कॉपीराइट के अतिक्रमण होने पर प्रतिवादी के विरुद्ध निम्न उपचार प्राप्त है–

- **व्यादेश** – न्यायालय द्वारा व्यादेश प्राप्त करके प्रतिवादी को कॉपीराइट का अतिक्रमण करने से रोकता है।
- **नुकसानी** – निषेधज्ञा के साथ–साथ वादी नुकसानी प्राप्त करने का भी उत्तरदायी है। नुकसानी का निर्धारण प्रतिवादी को हुए लाभ के आधार पर किया जाता है।
- **पुनः प्राप्ति** – प्रतिवादी द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले अपनी रचना के कथित अंश को पुनः प्राप्त करने के लिए कार्यवाही कर सकता है।

2. पेटेंट :

पेटेंट राइट एक विशेषाधिकार है जो राज्य द्वारा उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जो सर्वप्रथम किसी नए उत्पाद की खोज करता है अथवा उस का निर्माण करता है। ऐसे नए उत्पाद के आविष्कार पर आविष्कारक का एकाधिकार होता है अर्थात वही उसका प्रयोग कर सकता है अथवा उसे बेच सकता है। पेटेंट की विषय वस्तु कोई नवीन आविष्कार अथवा निर्माण होना चाहिए। यदि कोई नवीनता नहीं है तो उसे आविष्कार या निर्माण नहीं कहा जाएगा। यदि पेटेंट का दावा किया गया है तो दावे की तारीख से पहले उस अधिकार का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। पेटेंट के लाभ का अधिकार होने के लिए यह आवश्यक है कि आविष्कार को स्थापित करें कि जिस वस्तु का आविष्कार उसने किया है वह उपयोगी है।

एकाधिकार का हस्तांतरण – पेटेंटी अपने आविष्कार का अधिकार अपने लिए सुरक्षित रख सकता है अथवा उसे दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है अथवा दूसरे व्यक्ति को उपयोग करने के लिए लाइसेंस दे सकता है। यह ध्यान देने योग्य है कि लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति एकाधिकार के उल्लंघन के लिए कार्यवाही नहीं कर सकता है।

एकाधिकार का उल्लंघन–पेटेंट राइट से प्राप्त होने वाले विशेषाधिकार का उल्लंघन तब होता है जब कोई व्यक्ति उसके स्वामी से अभिव्यक्त रूप से अवगत हुए बिना अविष्कार को बनाता अथवा प्रयोग करता अथवा बेचता है।

वादी को प्राप्त उपचार –

(i) वादी अपने अधिकार के उल्लंघन के लिए नुकसानी तथा व्यादेश की कार्यवाही कर सकता है।

(ii) वादी ऐसे उल्लंघन के फलस्वरुप हुए वास्तविक आर्थिक हॉनि के लिए नुकसानी प्राप्त करने का हकदार है।

(iii) न्यायालय वाद कालीन व्यादेश भी जारी कर सकता है।

पेटेंट एक अधिकार है जो किसी व्यक्ति या संस्था को किसी बिल्कुल नई सेवा,तकनीकी, प्रक्रिया, उत्पाद या डिजाइन के लिए प्रदान किया जाता है ताकि कोई उनकी नकल नहीं तैयार कर सके. दूसरे शब्दों में पेटेंट एक ऐसा कानूनी अधिकार है जिसके मिलने के बाद यदि कोई व्यक्ति या संस्था किसी उत्पाद को खोजती या बनाती है

तो उस उत्पाद को बनाने का एकाधिकार प्राप्त कर लेती है. भारतीय पेटेंट कार्यालय को पेटेंट, डिजाइन और ट्रेड मार्क्स (सीजीपीडीटीएम) के नियंत्रक जनरल के कार्यालय द्वारा प्रशासित किया जाता है. इसका मुख्यालय कोलकाता में है और यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आदेशानुसार काम करता है।[7].

पेटेंट एक अधिकार है जो किसी व्यक्ति या संस्था को किसी बिल्कुल नई सेवा,तकनीकी, प्रक्रिया, उत्पाद या डिजाइन के लिए प्रदान किया जाता है ताकि कोई उनकी नकल नहीं तैयार कर सके. दूसरे शब्दों में पेटेंट एक ऐसा कानूनी अधिकार है जिसके मिलने के बाद यदि कोई व्यक्ति या संस्था किसी उत्पाद को खोजती या बनाती है तो उस उत्पाद को बनाने का एकाधिकार प्राप्त कर लेती है. यदि पेटेंट धारक के अलावा कोई और व्यक्ति या संस्था इसी उत्पाद को बनाती है तो यह गैर कानूनी होगा और यदि पेटेंट धारक ने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी तो पेटेंट का उल्लंघन करने वाला कानूनी मुश्किल में पड़ जायेगा. लेकिन यदि कोई इस उत्पाद को बनाना चाहता है तो उसे पेटेंट धारक व्यक्ति या संस्था से इसकी अनुमति लेनी होगी और रॉयल्टी देनी होगी. वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन ने पेटेंट लागू रहने की अवधि 20 वर्ष कर दी है जो कि पहले हर देश में अलग अलग होती थी.

पेटेंट दो प्रकार का होता है

1. उत्पाद पेटेंट
2. प्रक्रिया पेटेंट

1. **उत्पाद पेटेंट :–** इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति या संस्था किसी उत्पाद की हूबहू नकल का उत्पाद नही बना सकती है अर्थात दो उत्पादों की डिजाइन एक जैसी नही हो सकती है. यह अंतर उत्पाद की पैकिंग,नाम, रंग, आकार और स्वाद आदि का होता है. यही कारण है कि आपने बाजार में बहुत प्रकार के टूथपेस्ट देखे होंगे लेकिन उनमे से किसी भी दो कम्पनी के उत्पाद एकदम एक जैसे नही देखे होंगे. ऐसा उत्पाद पटेंट के कारण ही होता है.।
2. **प्रक्रिया पेटेंट** :– इसका संबंध नई प्रौद्योगिकी से है. किसी भी नई तकनीकी पर भी पेटेंट लिया जा सकता है. इस प्रकार के पेटेंट का मतलब यह होता है किसी भी व्यक्ति या संस्था किसी उत्पाद को बनाने के लिए उसी प्रक्रिया, तकनीकी से उत्पाद को नही बना सकता जिस प्रक्रिया से किसी उत्पाद को पहले ही किसी कम्पनी द्वारा बनाया जा चुका है. अर्थात प्रक्रिया पेटेंट में किसी उत्पाद को बनाने की विधि को चोरी नहीं किया जा सकता है.

पेटेंट प्राप्त करने की विधि :

प्रत्येक देश में पेटेंट कार्यालय होता हैं, अपने उत्पाद या तकनीकी पर पेटेंट लेने के लिए पेटेंट कार्यालय में अर्जी दें और साथ ही अपनी नई खोज का ब्यौरा दें. उसके बाद पेटेंट कार्यालय उसकी जांच करेगा और अगर वह उत्पाद या तकनीकी या विचार नया है तो पेटेंट का आदेश जारी कर देगा. यहाँ पर यह बात जाननी बहुत जरूरी है कि किसी उत्पाद या सेवा के लिए लिया गया पेटेंट सिर्फ उसी देश में लागू होगा जहाँ पर इसका पेटेंट कराया गया है. अगर अमेरिका या किसी और देश में कोई व्यक्ति भारत में पेटेंट किए उत्पाद या सेवा की नकल बनाएगा तो उसे उलंघन नहीं माना जाता. इसी प्रकार भारत में पेटेंट कराने वाली कम्पनी यदि इसी उत्पाद या सेवा का पेटेंट अमेरिका या किसी अन्य देश में भी एकाधिकार चाहती है तो उसे उस देश के पेटेंट कार्यालय में अलग से आवेदन देना होगा.

पेटेंट संबंधी कानून :

पेटेंट से संबंधित मुख्य विधान पेटेंट अधिनियम, 1970 है। पेटेंट शब्द को एकाधिकार के रूप में पारिभाषित किया जाता है जो उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने नया और उपयोगी चीज का अविष्कार किया है या मौजूदा वस्तु में सुधार किया या वस्तु की नई प्रक्रिया का अविष्कार किया

[7] HEMANT SINGH AUG 30, 2017 11:08 IST

है। इसमें नई खोजी गई वस्तु को विनिर्मित करने का विशिष्ट अधिकार या सीमित अवधि के लिए अविष्कारी प्रक्रिया के अनुसार वस्तु का विनिर्माण करने का अधिकार। अविष्कारों में उत्पाद या नई मिश्र धातु उत्पाद अविष्कार कहलाता है और इसके लिए पेटेंट को उत्पाद पेटेंट कहा जाता है जबकि अविष्कार जिसमें प्रक्रिया या ज्ञात अथवा नई मिश्र धातु बनाने की प्रक्रियाओं को प्रक्रिया अविष्कार कहा जाता है और इसके लिए पेटेंट प्रक्रिया पेटेंट कहलाता है। यह अधिनियम केवल प्रक्रिया पेटेंट की व्यवस्था करता है और खाद्य, भेषज और रसायन जैसे उत्पादों के लिए अविष्कार को केवल ईएमआर (विशिष्ट विपणन अधिकार) प्रदान किया जाता है।

भारत में पेटेंट प्रणाली का प्रशासन पेटेंट, डिजाइन, ट्रेड मार्क्स और भौगोलिक संकेत महानियंत्रक के अधीक्षण में होता है। महानियंत्रक का कार्यालय औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। महानियंत्रक पेटेंट कार्यालय और पेटेंट सूचना प्रणाली (पीआईएस) का निदेशन और पर्यवेक्षण करता है। पेटेंट कार्यालय नया पेटेंट अधिनियम के तहत नए अविष्कारों के लिए पेटेंट प्रदान करने संबंधी सांविधिक कर्त्तव्यों का निष्पादन करता है। पेटेंट का मुख्यालय कोलकाता में है जिसकी शाखाएं मुम्बई, चेन्नई और दिल्ली में हैं। शाखाएं अपने भूखण्ड के क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाले पेटेंट के आवेदनों के संबंध में कार्य करते हैं। नागपुर में पेटेंट सूचना प्रणाली (पीआईएस) प्रयोक्ताओं के लिए पेटेंट सूचना केन्द्र के रूप में कार्य करते आ रहा है। पेटेंट सूचना प्रणाली, पेटेंट विशिष्टीकरण और पेटेंट संबंधी साहित्य का विश्व व्यापी आधार पर संग्रहण का रखरखाव करता और प्रौद्योगिकीय सूचना प्रदान करता है जो पेटेंट या पेटेंट संबधी साहित्य में निहित होती है। यह सर्च सेवाओं और पेटेंट प्रति आपूर्ति सेवाओं के माध्यम से अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठानों के विभिन्न प्रयोक्ताओं, सरकारी कार्यालयों, निजी उद्योगों, व्यापार आविष्कारकों और भारत के भीतर अन्य प्रयोक्ताओं को प्रदान है।

3. ट्रेडमार्क (Trademark):

ट्रेडमार्क वह चिन्ह है जो कोई व्यक्ति अपने माल/समान/रचना पर यह जताने के लिए लगाता है कि वह उसके द्वारा निर्मित समझा जाए और वह उसका स्वामी है। यदि कोई व्यापारी अपने माल का इस प्रकार का कोई निशान, तस्वीर या लेवल लगाता है तो वह उसका व्यापार चिन्ह माना जाता है और वह उसकी निजी संपत्ति हो जाती है। जब कोई दूसरा व्यक्ति यह दिखाने के लिए उस चिन्ह का इस्तेमाल करता है तो वह ट्रेडमार्क का उल्लंघन करता है।

ट्रेडमार्क के अतिक्रमण की कार्रवाई में वादी को निम्न बातें साबित करनी पड़ती है–

(i) ट्रेडमार्क असली था अर्थात उसे किसी अन्य ट्रेडमार्क से नकल नहीं किया गया।

(ii) जिस माल पर ट्रेडमार्क लगाया गया था वह बिक्री की दशा में था।

(iii) प्रतिवादी ने अपनी वस्तुओं को वादी की वस्तुओं के रूप में बेचने के इरादे से ट्रेडमार्क की नकल की थी।

(iv) ट्रेडमार्क से जनता को धोखा होने की संभावना है जिससे कि वे प्रतिवादी का माल वादी का माल समझकर खरीद सकते हैं।

ट्रेडमार्क से सम्बंधित कुछ महत्वपूर्ण वाद निम्न है–

1. कोप ए.. इवेंस के वाद में यह निर्णय किया गया कि प्रतिवादी भिन्न ट्रेडमार्क प्रयुक्त कर सकता है परंतु यदि जनता को यह समझ में आए कि अंकित वस्तुएं निर्माता की वस्तुओं के समान है तो वह ट्रेडमार्क का उल्लंघन होगा।
2. मुदलियत ए. अब्दुल करीम के वाद में निर्मित किया गया कि यदि ट्रेडमार्क इतना सामान है कि औसत बुद्धि का व्यक्ति सरलता से अंतर ना कर सके तो ट्रेडमार्क का उल्लंघन माना जाएगा।

कोई भी शब्द, ,नाम, प्रतीक, या डिवाइस एक ट्रेडमार्क हो सकता है, Trademark किसी वाणिज्य (Busineऽ) की पहचान और एक निर्माता या विक्रेता से निर्मित या दूसरों के द्वारा बेचे माल के माल में भेद करने के लिए, और माल का स्रोत इंगित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. संक्षेप में कहे तो एक ट्रेडमार्क एक ब्रांड का नाम है। विस्तृत रूप में कहे तो, ट्रेडमार्क किसी भी प्रोडक्ट

या सर्विस की अलग पहचान बताने वाले शब्दों, नाम, सिंबल, आवाज या रंग को प्रोटेक्ट करता है. पेटेंट से अलग, ट्रेडमार्क को हमेशा के लिए रजिस्टर कराया जा सकता. यह तब तक वैध रहता है, जब तक कि इनका इस्तेमाल व्यापार के लिए होता रहे. जैसे कि कोका कोला की बोतल की शेप ट्रेडमार्क के तहत प्रोटेक्ट किया गया है. ट्रेडमार्क एक ब्रैंड नेम और पहचान होता है, जो प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग में बड़ी भूमिका निभाता है. ट्रेडमार्क का अधिकार किसी दूसरे द्वारा समान सिंबल (शब्द, आवाज, कलर आदि) बनाकर कन्फ्यूज करने से रोकने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये किसी दूसरे को वैसा ही प्रॉडक्ट बनाकर अलग मार्क या चिह्न के साथ बेचने से रोकने का अधिकार नहीं देता है। ट्रेडमार्क भी एक तरीके से बौद्धिक संपदा अधिकार होता है. किसी वस्तु पर मौजूद ट्रेडमार्क से जाहिर होता है कि यह किसी विशेष कंपनी की ओर से बनाया जा रहा है. ट्रेडमार्क का प्रयोग कोई व्यक्ति, व्यावसायिक संगठन या कानूनी इकाई अपने उत्पाद या सेवा के लिए करती है. आमतौर पर किसी नाम, वाक्य, लोगो, विशेष चिन्ह, डिजाइन या चित्र को ट्रेडमार्क बनाया जाता है। कंपनी विशेष के सभी उत्पादों पर उसका ट्रेडमार्क लगा होता है। कानूनी संस्था ISI मार्क, ISO मार्क, खाद्य उत्पादों में शाकाहारी और मांसाहारी उत्पादों की पहचान के लिए हरे और लाल निशान (ट्रेडमार्क) का इस्तेमाल करती है. ट्रेडमार्क पंजीकृत और गैर–पंजीकृत दोनों तरह के होते हैं.

ट्रेड मार्क का चयन :

(i) यदि यह एक शब्द तो इसे बोलना, वर्तनी तथा याद रखना आसान होना चाहिये।

(ii) आविष्कारित शब्द अथवा निर्मित शब्द सर्वश्रेष्ठ ट्रेड मार्क होते है।

(iii) भौगोलिक नामों को नहीं रखना चाहिए। किसी को भी उस पर एकाधिकार नहीं हो सकता.

(iv) उत्पाद की गुणवत्ता के वर्णन हेतु प्रशंसासूचक शब्दों (बेस्ट, परफेक्ट, सुपर, इत्यादि) के प्रयोग से बचना चाहिए।.

ट्रेड मार्क के लिये कौन आवेदन कर सकता है–

कोई भी व्यक्ति जो ट्रेड मार्क का प्रवर्तक होने का दावा करता है निर्धारित प्रक्रियानुसार इसके पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकता है। आवेदन में ट्रेड मार्क, माल/सेवाये, आवेदक का नाम एवं पता तथा एजेंट का नाम एवं पता (यदि कोई हो तो), पावर आफ अटार्नी, मार्क के प्रयोग की अवधि तथा हस्ताक्षर होने चाहिये. आवेदन हिंदी अथवा अंग्रेजी में होना चाहिये तथा इसे उपयुक्त कार्यालय में जमा किया जाना चाहिये.

किसी विशेष माल अथवा सेवा के लिये ट्रेड मार्क हेतु आवेदन –

ट्रेड मार्क्स अधिनियम 1999 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि माल तथा सेवाओं का वर्गीकरण इनके अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण के अनुसार किया जाये. वर्तमान में उक्त अधिनियम की अनुसूची IV में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले माल तथा सेवाओं की सूची का सारांश दिया गया है जोकि मात्र सांकेतिक है कौन सा माल अथवा सेवा किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जायेगा यह पूर्णतः रजिस्ट्रार के प्राधिकार में आता है। अधिनियम की अनुसूची IV ट्रेड मार्क्स पर इस प्रश्नावली के अंत में संलग्न है।

4. ट्रेडनेम (Tradename):

निर्माण के बाद वस्तुओं को निर्माता का नाम दिया जाता है जिसके द्वारा कथित माल जनता में प्रसिद्धि प्राप्त करता है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति वस्तुओं को ऐसे नाम से बेचता है कि खरीदने वाले को यह मालूम हो कि जो वस्तुएं खरीद रहे हैं उस पर पहले व्यक्ति का व्यापार नाम हैं तो यह एक अनुचित कार्य होता है और वादी प्रतिवादी के विरुद्ध व्यापार नाम के अतिक्रमण के लिए कार्यवाही कर सकता है।

यह विधि का एक सामान्य नियम है कि कोई भी व्यक्ति अपने वस्तु को दूसरों की वस्तु के रूप में नहीं दे सकता है।

निष्कर्ष :

भारत में ट्रिप्स के अनुरूप मजबूत, न्यायसंगत और गतिशील आईपीआर व्यवस्था है। भारतीय आईपीआर नीति, देश के आर्थिक विकास और सामाजिक–सांस्कृतिक विकास के लिए बौद्धिक संपदा की पूरी क्षमता को उत्प्रेरित करने के लिए एक समग्र और अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा तथा सार्वजनिक हित की रक्षा करने वाली नीति है ।

रचनात्मकता और नवाचार किसी भी ज्ञानवादी अर्थव्यवस्था की वृद्धि और विकास का निरंतर आधार होते हैं। भारत में भी रचनात्मक और नवीन ऊर्जा बहुतायत में पायी जाती है। फिल्म और संगीत उद्योग के विकास; विश्व स्तर पर सस्ती दवाओं तक पहुँच में भारतीय दवा क्षेत्र का योगदान और दुनिया की फार्मेसी बनने में इसका कार्यांतरण; एक मजबूत और गतिशील सॉफ्टवेयर उद्योग एक विविध हस्तशिल्प और वस्त्र उद्योग; आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और योग जैसी समृद्ध और बहुरूप भारतीय चिकित्सा प्रणालीय भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम और प्रभावी लागत के संदर्भ में हमारे वैज्ञानिकों की अग्रणी भूमिका में की गई प्रगति इन ऊर्जा के कुछ उदाहरण हैं।

राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं के अनुरूप और अंतरराष्ट्रीय संधियों, सम्मेलनों और समझौतों के अनुरूप जिसमें भारत एक पक्षकार है, पिछले दो दशकों में सरकार द्वारा किए गए ठोस उपायों से और टिप्स के अनुरूप मजबूत, न्यायसंगत और गतिशील आईपीआर व्यवस्था की भारत में स्थापना की है। भारत में विभिन्न प्रकार के आईपीआर से संबन्धित विधान हैं जैसे पेटेंट अधिनियम, 1970 व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999, डिजाइन अधिनियम 2000 वस्तुओं के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 कॉपीराइट अधिनियम, 1957 पौधा किस्मों और किसान अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, 2001 सेमीकंडक्टर एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम, 2000 और जैव विविधता अधिनियम, 2002 ।

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) को अन्य संबंधित मंत्रालयों या विभागों के साथ समन्वय सहित ,आईपीआर से संबंधित विशेष संयुक्त राष्ट्र एजेंसी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) मामलों का कार्य सौंपा गया है।

संदर्भ :

1. भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970।
2. पेटेंट अधिनियम, 1970
3. व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999,
4. डिजाइन अधिनियम 2000
5. वस्तुओं के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999
6. कॉपीराइट अधिनियम,
7. 1957 पौधा किस्मों और किसान अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, 2001
8. सेमीकंडक्टर एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम, 2000
9. जैव विविधता अधिनियम, 2002
10. एआईआर 2000 से 2012 तक
11. इंटरनेट।
12. दैनिक समाचार पत्र तथा अन्य वेबसाइट।
13. http://Indiankanoon